इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 62] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 फरवरी 2021—माघ 20, शक 1942

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2021

क्र. एफ-2(अ)10-2021-बी-4-दो.—पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) की धारा 2 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त विनियम में,—

1. पैरा 72 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"72 **उच्चतर पद श्रेणी पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्तिः—**

यदि रिक्तियों को भरने की तत्काल आवश्यकता है, और उपयुक्त शासकीय सेवक उपलब्ध हैं, तब ऐसी दशा में पुलिस महानिरीक्षक किसी उपनिरीक्षक को निरीक्षक के रूप में, उपमहानिरीक्षक किसी सहायक उपनिरीक्षक को उपनिरीक्षक तथा प्रधान आरक्षक को सहायक उप निरीक्षक के रूप में एवं पुलिस अधीक्षक किसी आरक्षक को प्रधान आरक्षक के रूप में, आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु आदेशित कर सकेगा.

उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए आदेशित शासकीय सेवक का वरिष्ठता पर या ऐसे उच्चतर पद श्रेणी के वेतन पर कोई दावा नहीं होगा. परन्तु वह तब तक ऐसे उच्चतर पद श्रेणी की वर्दी धारण कर सकेगा जब तक कि ऐसा अधिकारी ऐसे उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता है. ऐसा स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाला अधिकारी, ऐसे उच्चतर पद पर पदोन्नत किसी अधिकारी द्वारा यथा प्रयोज्य ऐसे उच्चतर पद की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिस पर वह वर्तमान में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है".

No. F-2(A)-10-2021-B-4-Two.—In exercise of the power conferred by the sub-section (2) and (3) of Section 46 read with Section 2 of Police Act, 1861 (V of 1861) the State Government hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Police Regulations, namely:—

AMENDMENT

In the said Regulation,—

1. For para 72, the following para shall be substituted, namely:—

"72. **Appointment for officiating on higher rank**:—

In case if it is necessary to fill up vacancies immediately, and suitable officers are available, the Inspector General may order a Sub-Inspector to officate as Inspector, the Deputy Inspector General may order an Assistant Sub-Inspector to officiate as Sub-Inspector and an Head Constable as Assistant Sub-Inspector and Superintendent of Police may order a Constable to officiate as Head Constable, until further orders.

The officers so ordered to officiate at such higher rank, shall have no claim of seniority or pay of such higher rank, but may wear the uniform of such higher post till such officer officiates on such higher post. Such officiating officer shall exercise all the powers of such higher post as exercisable by an officer promoted to such higher rank, to which he is currently officiating".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश राजोरा, अपर मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.